

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।  
पत्रांक- 2615/14-1, बुलन्दशहर, दिनांक, 31 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन,  
85/4 इस्पात भवन,  
थर्ड फ्लोर संजय पैलेस,  
आगरा।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली-कानपुर मार्ग (एन0एच0-91) के किमी0 60 (चैनेज 59.130) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा संख्या 165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/30840/2017)

सन्दर्भ:- सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, लखनऊ का पत्र सं0 8बी/यू0पी0/173/2023/एफ0सी0 दिनांक 13.11.2023, इस कार्यालय की पत्र संख्या 2456/14-1 दिनांक 03.01.2024, पत्र सं0 4171/14-1 दिनांक 22.03.2024 पत्र संख्या 5124/14-1 दिनांक 22.06.2024 एवं पत्र सं0 1903/14-1 दिनांक 12.11.2024 ।

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, लखनऊ ने अपने पत्र सं0 8बी/यू0पी0/173/2023/एफ0सी0 दिनांक 13.11.2023 द्वारा प्रस्ताव में कमियों होने के कारण कुछ बिन्दुओं पर सूचनाएँ उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। इस सम्बन्ध में आपको इस कार्यालय की पत्र संख्या 181/14-1 दिनांक 25.11.2023 द्वारा कमियों को पूर्ण कर वाँछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु आप द्वारा अभी तक वाँछित अभिलेख/सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। रिटेल आउटलेट का निर्माण कार्य कब कराया गया तथा कब से संरक्षित वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है, की सूचना प्रस्तुत करें। ताकि पैनल्टी की गणना की जा सके।

अतः आप पत्र में दर्शायी गयी कमियों को पूर्ण कर वाँछित अभिलेख उपलब्ध करायें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
बुलन्दशहर।